

रव वास
जम जो
नी तामीन म
गारी इर

पटवारी हाका राजपुडका V/S मोरी

म.न. 90/2022 सुवेशरिपी. 4-10.22 निर्णय 27-6-23


27. 6.23 आफ पत्रावली पेश हुई। विधेई पटवारी हाका अनुसार संक्षेप मे तथ्य लिखन पुकारा से है कि गैर शासक मोरी पुत्र लालू जाति बोजारा निवासी राजपुडका में ग्राम राजपुडका के आराजी ख.न. 244/2303 रकबा 14.47 है भूमि चारागाह पर 0.01 है. शेष पर पक्का मकान व 0.01 है भूमि पर तिरपाल से तम्बू बनाकर सम्पत्तिय मे अति कुशल कर लिखा है। जिस पर गैर शासक के विक्रम पुकरण राजस्थान गुर राजस्व आधी निमेष 1956 के चारा गकि लहर दर्ज रजिस्ट्रार कर, गैर शासक के जैम लपन लपक किचा गया। गैर शासक के नोटिफ कांफ 1959 डिंक 4-10-22 के द्वारा लपक किचा गया गैर शासक कावपुड लामिल (धरन) के अनुपाधिक।

इकर पुकरण के लम्बायेत एक पत्रावली

पूर्व से दर्ज गिसल नं. 108/2020 दर्ज रजिस्ट्रार डेकर डेरकाड डेके घर शामिल पत्रावली की गई। जिलेके कि भावनीप सिविल न्यायाधीश - मेडकप राजगढ़ के अंत से स्थगन भोदका है। शामिल गिसल की गई। गैर शासक को डक्टर अति कुशल के लम्बायेत मे पुनः नोटिफ जारी कर लपक किचा गया, गैर शासक की डेकर से लपक पुजुन कर कारवही डेप करे का निवेदन किचा गया लेकिन भावनीप सिविल न्यायाधीश - मेडकप राजगढ़ के अंत दर्ज वाड मे स्थगन के लम्बायेत कोई ओदेशिका पेश नही की गई। बाहिर है गैर शासक को अब किसी भी अक्षय न्यायालय से स्थगन (इंटे) प्राप्त नही है अतिकमी काविल बकपली है।

अतः गैर शासक को आराजी उशर नम्बर 244/2303


रकबा 0.02 है भूमि से बकपली के ओदेश दिये जाते है एवं शासी लवक 1=00 कैप की 50 गुगा 50/2 इफे कापकी जायी है।


तहसीलदार
राजगढ़ जिला अजमेर


मगातीर

— एवं मू. अतिरिक्त निरीक्षण परकारी द्वारा राजपुर बग को बेदावानी एवं पेशी वृत्ती के अक्षय डिग्रे जोते है। तदलील राजस्व लेखाकार को राजस्व लेखो मे मांग करपरी हेतु निरीक्षा जौव, चदावानी फैलल शुमाए होकर भावरे से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27-6-2023 को सुनने इफलास मे सुनाया गया।


तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर

रा. ले. स. 4 वर्ष 2023-24
के पृष्ठ संख्या 37 पर चा.पे. 50/-
राशि कायम किये गये।


त. रा. लेखाकार

लेवा में,
श्रीमान महस
तहसील-राज
निर्दिष्ट है कि।
कच्चा कायम किया है